प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, मैरवा (सिवान)

मोबाईल न0:- 8707639275 मैरवाधाम, दरौली मोड़, पिन- 841239 Email Id :- ptecsiwan03@gmail.com

नामांकन संबंधी आवश्यक निर्देश

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के विज्ञप्ति सं0-198/2022 एवं ज्ञापांक-369/22पटना, दिनांक-17.10.2022 के आलोक में समिति द्वारा डी0एल0एड0 सत्र (2022-24) नामांकन के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी के प्रवेश परीक्षा का स्कोर, महाविद्यालय का स्वीकृत सीटो की संख्या, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये संस्थान के विकल्प एवं आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान के आधार पर कला एवं वाणिज्य तथा विज्ञान संकाय के उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थियो का प्रथम सूची का नामांकन हेतु दिनांक- 18.11.2022 से 23.11.2022 तक 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 अपराह्न तक महाविद्यालय में अपना काउन्सिलिंग करा कर नामांकन ले लेगें अन्यथा उसके बाद के तिथि को उनकी उम्मीदवारी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

महाविद्यालय में अपना काउन्सिलिंग के उपरान्त सामान्य/ पिछड़ा वर्ग/अत्यंन्त पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष में नामांकन शुल्क के रूप में रू0-11,500 (ग्यारह हजार पाँच सौ रूप्ये मात्र) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ निःशक्त अभ्यर्थी को रू0- 7,000 (सात हजार रूप्ये) का बैक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट जो प्राचार्य P.T.E.C SIWAN, सिवान के नाम IN FAVOUR OF – **PRINCIPAL, PTEC SIWAN** के पदनाम से **भारतीय स्टेट बैंक सिवान बाजार ब्रांच (ब्रांच कोड़-1238)** में भुगतेय **(PAYABLE) हो।** बैक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का होना चाहिए। नामांकन की यह राशि प्रथम वर्ष का मात्र शिक्षण शुल्क के लिए है।

काउन्सिलिंग के लिए चयनित अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र अनिवार्य रूप से निम्न क्रमानुसार लाना सुनिश्चित करेंगे:-

1. डी0एल0एड0 सत्र (2022-24) आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, परीक्षा का स्कोर कार्ड, कॉलेज एलाटमेन्ट लेटर
2. मैट्रिक/दसवीं/ फोकनियाँ का मूल प्रमाण-पत्र एवं मूल अंक-पत्र
3. इंटरमीडिएट /मौलवी/ मूल प्रमाण-पत्र एवं मूल अंक-पत्र
4. अन्तिम योग्यता से संबंधित महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
5. आवासीय प्रमाण-पत्र अद्यतन (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।
6. जाति प्रमाण-पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।
7. निःशक्त प्रमाण-पत्र (जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।
8. आर्थिक दृष्टी से पिछड़ा वर्ग/ EWS का प्रमाण-पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।
9. शपथ-पत्र अनुमंडल पदाधिकारी/ कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत।
10. चार रंगीन पासपोर्ट फोटो।
11. उच्च योग्यता से सम्बंधित प्रमाण-पत्र यदि हो तो।
12. आधार कार्ड मूल रूप से लाना अनिवार्य है।

नोटः- अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उनका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जाएगा। नामांकन के समय अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण-पत्र एक फोल्डर में एवं दूसरे फोल्डर में सभी प्रमाण-पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति दो-दो प्रति में जमा करेंगे। नामांकन के समय संस्थान में अभ्यर्थी के सभी मूल प्रमाण-पत्र जमा करा लिया जाएगा एवं जाँच के क्रम में फर्जी / जाली पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन तत्काल प्रभाव से रदद् करते हुए अनुशासनिक कार्यवाई की जाएगी। साथ ही इसकी सूचना विभाग के उच्चधिकारी को भी सूचित कर दी जाऐगी।

17.11.22

प्राचार्य

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय

मैरवा (सिवान)

Scanned by CamScanner

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी/ कार्यपालक दंडाधिकारी

शपथ पत्र

मैं..पुत्र/पुत्री..ग्राम/मोहल्ला................................ पत्रालय..............................थाना........................, जिला........................, पिन.................., बिहार का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ–

1 यह कि मैने प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, मैरवा (सिवान) में डी०एल०एड० (2022–24) नामांकन हेतु जो भी शैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र (जाति/निवास/निःशैत्ता/आर्थिक दृष्टि से कमजोर) समर्पित किया है वह सत्य एवं वैध हैं।

2 मेरे द्वारा समर्पित किए गए प्रमाण पत्र यदि जाली अथवा अवैध पाए जाते है तो मेरा नामांकन रद्ध करते हुए मेरे विरूद्ध विभागीय एवं अनुशासनिक कारवाई की जा सकती हैं।

3 मै बिहार का स्थाई निवासी हूँ तथा मैने नामांकन से संबंधित सभी निर्देशो को पढ़कर समझ लिया हैं।

3 मैं किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थान में नियमित रूप से अध्यनरत या नामांकित नहीं हूँ।

4 मैं संस्थान के द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशो अथवा नियमों का अनुपालन करूंगा/करूंगी।अनुशासनहीनता की स्थिति में संस्थान द्वारा लिया गया नियमानुकुल निर्णय मुझे मान्य होगा।

मैं उपरोक्त शपथकर्ता/ शपथग्राहीता इकरार करता/करती हूँ की उक्त कथन मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शपथकर्ता/शपथग्राहीता ने मेरे समझ अपने सभी कथन सत्य होना कबूल किया। जिसकी पहचान श्री..अधिवक्ता ने की।

अनुमंडल दंडाधिकारी/ कार्यपालक दंडाधिकारी

Scanned by CamScanner